जम्मू एवं कश्मीर राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक की नियुक्ति हेतु सूचना

इंडियनऑयल IndianOil | Bharat Petroleum | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम HP

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों से संबंध रखने वाले प्रत्याशियों में से नीचे दिए गए स्थानों पर अलग–अलग श्रेणियों के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) की नियुक्ति करने का प्रस्ताव करते हैं:

क्रम सं.	तेल कम्पनी	स्थान का नाम (शहर/गाँव)	तहसील	ज़िला	श्रेणी
1	आईओसी	गूल	रामबन	रामबन	ओ
2	आईओसी	सूंगल	अखनूर	जम्मू	सीसी
3	आईओसी	चुलना	उधमपुर	उधमपुर	एससी
4	आईओसी	कुंजर	टंगमर्ग	बारामूला	ओ
5	आईओसी	ठाठरी	ठाठरी	डोडा	ओ
6	आईओसी	लार	लार	गांधरबल	सीसी
7	आईओसी	कोटबलवाल	जम्मू	जम्मू	ओ
8	आईओसी	पर्गवाल	अखनूर	जम्मू	एसटी
9	आईओसी	चिकतन	कारगिल	कारगिल	सीसी
10	आईओसी	द्रास	कारगिल	कारगिल	ओ
11	आईओसी	पदम	जंसकर	कारगिल	एससी
12	आईओसी	सांखू	कारगिल	कारगिल	ओ
13	आईओसी	ताईसुरु	कारगिल	कारगिल	सीसी
14	आईओसी	शात्रु	शात्रु	किश्तबाड़	ओ
15	आईओसी	चीचा दछन	मरवाह	किश्तबाड़	एसटी
16	आईओसी	धमालहांजीपूरा	धमालहांजीपूरा	कुलगाम	ओ
17	आईओसी	सोगाम	कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	सीसी
18	आईओसी	दिसकित	नोबरा	लेह	ओ
19	आईओसी	खलसी	खलसी	लेह	एसटी
20	आईओसी	नोयमा	लेह	लेह	ओ
21	आईओसी	तकसी	नोबरा	लेह	सीसी
22	आईओसी	मंडी	मंडी	पूँछ	ओ
23	आईओसी	बटोत	रामबन	रामबन	एससी
24	आईओसी	पदगामपूरा	पुलवामा	पुलवामा	ओ
25	आईओसी	कालाकोट	कालाकोट	राजोरी	सीसी
26	आईओसी	गूढास्लाथिया	सांबा	सांबा	एसटी
27	आईओसी	अरनास	गूलगूलाब गढ़	रियासी	ओ
28	आईओसी	माहौर	गूलगूलाग गढ़	रियासी	सीसी
29	आईओसी	पौनी	रियासी	रियासी	ओ
30	आईओसी	मरोग	बनिहाल	रामबन	एससी
31	बीपीसी	अरवानी	बिजबेहारा	अनंतनाग	एसटी
32	बीपीसी	अजस	बाँड़ीपुर	बाँड़ीपुर	ओ
33	बीपीसी	खानसाहिब	खानसाहिब	बडगाम	सीसी
34	बीपीसी	अरनीआ	बिशनाह	जम्मू	ओ
35	बीपीसी	चनैनी	चनैनी	उधमपुर	एससी
36	बीपीसी	पलमाड	किश्तबाड़	किश्तबाड़	ओ
37	बीपीसी	मंजगाम	धमालहांजीपूरा	कुलगाम	सीसी
38	बीपीसी	कस्बा गुल	धमालहांजीपूरा	कुलगाम	ओ
39	बीपीसी	जिब	उधमपुर	उधमपुर	एसटी
40	बीपीसी	मजाल्ता	मजाल्ता	उधमपुर	ओ
41	बीपीसी	टंगमर्ग	टंगमर्ग	बारामूला	एसटी
42	बीपीसी	सुहांजना	जम्मू	जम्मू	ओ
43	बीपीसी	काकापूरा	पुलवामा	पुलवामा	ओ
44	एच पी सी	क्रालपूरा	कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	एसटी
45	एच पी सी	वेरीनाग	डोरु	अनंतनाग	ओ
46	एच पी सी	कोकरनाग	कोकरनाग	अनंतनाग	सीसी
47	एच पी सी	काजीगुंड	डोरु	अनंतनाग	ओ
48	एच पी सी	गुरेज़ (दावर)	गुरेज़	बाँड़ीपुर	ओ
49	एच पी सी	बुनियार	बुनियार	बारामुल्ला	सीसी
50	एच पी सी	पलहलान	पट्टन	बारामुल्ला	ओ
51	एच पी सी	वडुरा	सोपोर	बारामुल्ला	ओ
52	एच पी सी	खाग	खाग	बड़गाम	सीसी
53	एच पी सी	भलेसा	गंडोह	डोडा	ओ
54	एच पी सी	शेरगोल	कारगिल	कारगिल	एससी
55	एच पी सी	बनी	बनी	कठुआ	ओ
56	एच पी सी	रामकोट	बिलावर	कठुआ	सीसी
57	एच पी सी	गुलाबगढ़	किश्तबाड़	किश्तबाड़	ओ
58	एच पी सी	करुल	किश्तबाड़	किश्तबाड़	एसटी
59	एच पी सी	पतनाज़ी	किश्तबाड़	किश्तबाड़	ओ
60	एच पी सी	तंगधार	करनाह	कुपवाड़ा	सीसी
61	एच पी सी	विलगाम	हंद्वाड़ा	कुपवाड़ा	ओ
62	एच पी सी	खारू	लेह	लेह	एसटी
63	एच पी सी	द्राभगाम	पुलवामा	पुलवामा	ओ
64	एच पी सी	थानामंडी	थानामंडी	राजोरी	सीसी
65	एच पी सी	घोरडीख़ास	रामनगर	उधमपुर	एससी

'ओ' का तात्पर्य खुली श्रेणी, **'एससी/एसटी'** का तात्पर्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी और **'सीसी'** का तात्पर्य संयुक्त श्रेणी से है।

2. **केवल व्यक्तिगत उम्मीदवार** ही आवेदन करने के पात्र हैं। तथापि, नियुक्ति के बाद सभी आरजीजीएलवी आवेदक और उसकी पत्नी/पति के नाम संयुक्त रूप से होंगे (अर्थात पत्नी/पति आरजीजीएलवी के सह–स्वामी होंगे)। उस स्थिति में, जब कोई आवेदक अविवाहित/परित्यक्त/विधवा/विधुर है तो उसे यह घोषणा करनी होगी कि विवाह/पुनर्विवाह के पश्चात वह उसकी पत्नी/पति को सह–स्वामी बनायेगा। पति/पत्नी के लिए शैक्षिक योग्यताओं की कोई अपेक्षा नहीं होगी।

3. सभी श्रेणियों के लिए सामान्य पात्रता मानदंडः

आरजीजीएलवी के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए

(ख) उस कस्बे/गांव का निवासी होना चाहिए जिसके लिए आरजीजीएलवी लोकेशन का विज्ञापन दिया गया है

(ग) मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम दसवीं कक्षा अथवा समकक्ष पास की हो

(घ) संयुक्त श्रेणी (सीसी) के अधीन आवेदन करने वाले रक्षा कार्मिक श्रेणी (डीपी) तथा अर्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक श्रेणी (पीएमपी) को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों की आयु आवेदन करने की तारीख को 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

संयुक्त श्रेणी (सीसी) के अंतर्गत आरक्षित स्थानों के लिए आवेदन करने वाले रक्षा कार्मिक श्रेणी (डीपी) तथा अर्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक श्रेणी (पीएमपी) के आवेदकों की आयु आवेदन की तारीख को 21 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ.) उसे मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप के मानदंड पूरे करने चाहिए

मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप का अर्थ है कि आवेदक अथवा 'पारिवारिक इकाई' के किसी अन्य सदस्य के पास किसी सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनी की डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी नहीं होनी चाहिए अथवा डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी के लिए आशय पत्र (एलओआई) नहीं होनी चाहिए अर्थात एक 'पारिवारिक इकाई' को पीएसयू ऑयल कम्पनी की केवल एक रिटेल आउटलेट/एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप/ एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी की अनुमति ही दी जाएगी।

विवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में, 'पारिवारिक इकाई' में संबद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी/पति और उनके अविवाहित पुत्र और पुत्री (यां) शामिल होंगे। अविवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में, 'पारिवारिक इकाई', में संबद्ध व्यक्ति, उसके माता–पिता और उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहन (बहनें) शामिल होंगे। परित्यक्त के मामले में 'पारिवारिक इकाई', में संबद्ध व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री (यां), जिनकी अभिरक्षा का दायित्व उसे सौंपा गया है, शामिल होंगे। विधवा/विधुर के मामले में 'पारिवारिक इकाई', में संबद्ध व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री (यां) शामिल होंगी।

(च) उसके अपने नाम अथवा ऊपर पारिभाषित 'पारिवारिक इकाई' के परिवार के सदस्यों के नाम कुल मिलाकर कम से कम 2 लाख रु. की राशि बैंक बचत खाते में होनी चाहिए (आवेदन की तारीख को), अनुसूचित बैंकों में मुक्त और विलंगम रहित सावधि जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बांड, किसी अन्य निवेश आदि के रूप में होनी चाहिए। (आरजीजीएलवी के मामले में 'अनु. जा./अनु.ज.जा.' श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षित स्थानों के लिए 2 लाख रु. से कम की राशि के आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं)। मूल्याकंन के उद्देश्य से, आवेदन पत्र में उल्लिखित राशि के आधार पर सभी श्रेणियों के आवेदकों को अंक दिए जाएंगे।

(छ) उसके स्वामित्व में, विज्ञापित किए गए आरजीजीएलवी स्थान पर एलपीजी सिलेंडर स्टोरेज गोदाम का निर्माण करने के लिए न्यूनतम 20मी. x 24मी. की समुचित जमीन (प्लॉट) होना चाहिए।

(ज) स्वामित्व का अर्थ है आवेदक के नाम में मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप मानकों में यथा पारिभाषित 'पारिवारिक इकाई' में परिवार के सदस्य के नाम में संपत्ति के स्वामित्व का स्पष्ट विलेख होना चाहिए। परिवार के सदस्य के स्वामित्व/सह–स्वामित्व के मामले में, परिवार के सदस्य से सहमति पत्र लेने की आवश्यकता होगी।

(झ) गोदाम के निर्माण के लिए प्लॉट को तभी उपयुक्त माना जाएगा, जब वह सभी मौसमों के दौरान मोटरएबल पहुंच मार्ग (सार्वजनिक सड़क अथवा आवेदक की प्राइवेट सड़क जो सार्वजनिक सड़क को मिलाती हो), से पूरी तरह से जुड़ा हो, प्लेन होना चाहिए, प्लॉट एक ही टुकड़े में होना चाहिए, ओवरहैड पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों अथवा टेलीफोन लाइनों से मुक्त होना चाहिए। प्लॉट में से पाइपलाइनें/नहर/ड्रेनेज/नाला आदि नहीं गुजरना चाहिए।

(ञ) व्यापार को चलाने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(ट) उस पर किसी आपराधिक मामले जिसमें नैतिक दुराचार/आर्थिक अपराध शामिल है, के लिए किसी कानूनी न्यायालय में मुकदमा न चल रहा हो अथवा न ही उसके विरूद्ध आरोप पत्र तैयार किया गया हो।

(ठ) उसने किसी डिस्ट्रिब्यूटरशिप/डीलरशिप करार पर हस्ताक्षर न किए हों जिसे किसी ऑयल कम्पनी द्वारा सिद्ध किए गए कदाचार/अपमिश्रण के मामले के आधार पर करार को निरस्त कर दिया गया हो।

4. विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंडः

क. खुली श्रेणी (ओ)

सामान्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रत्याशी 'खुली' श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी (एससी/एसटी):

भारत के संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (अनु.जा./अनु.ज.जा.) के रूप में मान्यता प्राप्त जातियों/जनजातियों से संबंध रखने वाले प्रत्याशी इसके पात्र होंगे।

प्रत्याशियों को आवेदन पत्र के साथ, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रत्याशी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।

ग. संयुक्त श्रेणी (सीसी)

निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी से संबंध रखने वाले आवेदक आरजीजीएलवी के लिए 'संयुक्त श्रेणी' के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं:

I. रक्षा कार्मिक श्रेणी (डीपी) :

रक्षा कार्मिकों का अर्थ है सशस्त्र सेनाओं (अर्थात आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) के कार्मिक और इसमें युद्ध में मारे गए कार्मिकों की विधवाएं/आश्रित, युद्ध में अपंग हुए/ड्यूटी के दौरान अपंग हुए कार्मिक/सशस्त्र सेनाओं के वे सदस्य जो आरोप्य कारणों से अक्षम हुए हों अथवा आरोप्य कारणों से शांति के दौरान मारे गए हों, उनकी विधवाएं/आश्रित भी शामिल होंगे।

इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्याशी को विज्ञापित किए गए आरजीजीएलवी, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए प्रायोजित करने हेतु जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। एक आरजीजीएलवी के लिए जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र दूसरे आरजीजीएलवी के लिए वैध नहीं होगा। अतः प्रत्याशी को मौजूदा विज्ञापन के अन्तर्गत विज्ञापित एक विशिष्ट स्थान के लिए प्रायोजित किया गया माना जाएगा।

II. अर्धसैनिक बल/पुलिस/सरकारी कार्मिक श्रेणी (पीएमपी):

अर्धसैनिक बल/पुलिस/ सरकारी कार्मिक जिनमें केन्द्र सरकार और राज्य पुलिस बलों, सीमा शुल्क, केन्द्रीय आबकारी विभाग, नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, इकोनोमिक इंटेलिजेन्स ब्यूरो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ–एन्टी इवेजन और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में कार्यरत वे कर्मी जो सेवा करते हुए अयोग्य या अक्षम हो गए हों, सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, विशेष रिज़र्व पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस, तटरक्षक गार्ड, असम राइफल्स आदि के कर्मी इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। ड्यूटी पर मृत्यु की स्थिति में, उनकी विधवाएं/आश्रित भी इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे।

इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले प्रत्याशी को संबद्ध संगठन/सरकारी विभाग से संबद्ध प्रमाण पत्र जो उस कार्यालय के मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा वह भारत सरकार के अवर सचिव (Under Secretary) के स्तर से कम स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो, की प्रति संलग्न करनी होगी।

III. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीएच) :

इस श्रेणी के अन्तर्गत उन प्रत्याशियों को पात्र माना जाएगा जो शारीरिक रूप से शरीर के ऊपरी हिस्से अथवा निचले हिस्से की न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी (आंशिक) अक्षमता के शिकार होंगे अथवा शरीर के ऊपरी अथवा निचले अंगों, दोनों की 50 प्रतिशत स्थायी (आंशिक) अक्षमता से ग्रस्त होंगे। इस उद्देश्य के लिए 'स्थायी शारीरिक विकलांगता को आंकने के लिए मैनुअल फॉर आर्थोपेडिक सर्जन' में निहित मानकों जिनका प्रकाशन अमरीकन एकेडेमी ऑफ आर्थोपैडिक सर्जन, अमरीका द्वारा किया गया है और जिसका मुद्रण उनकी ओर से आर्टीफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीटी रोड़, कानपुर द्वारा किया गया है, लागू होंगे।

न्यूनतम 40 प्रतिशत अक्षमता वाले गूंगे, बहरे और नेत्रहीन व्यक्ति भी इस श्रेणी के अन्तर्गत सभी आरजीजीएलवी डीलरशिप में आवेदन करने के पात्र होंगे। तथापि, पूरी तरह से नेत्रहीन व्यक्ति आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को मेडिकल बोर्ड, जिसका गठन विभिन्न अक्षमताओं और पद्धतियों के प्रमाणन के मूल्याकंन के लिए दिशा निर्देश जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड जिसका गठन भारत के असाधारण गजट नई दिल्ली संख्या 154 दिनांक 13 जून, 2001 के अनुसार किया गया हो, से जारी एक प्रमाण पत्र (आवेदन फॉर्मेट में दिए गए मानक फॉर्मेट के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।

IV. उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी (ओएसपी):

निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:

(i) अर्जुन/खेल रत्न पुरस्कार विजेता

(ii) ओलंपिक्स/एशियन/राष्ट्रमंडल खेलों तथा मान्यता प्राप्त विश्व चैम्पियनों/विश्व चैम्पियनशिपों में पदक विजेता।

(iii) राष्ट्रीय चैम्पियनों–मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के अंतर्गत वरिष्ठ स्तर (पुरुष एवं महिला दोनों) में प्रथम स्थान धारक।

(iv) राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड विजेता

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का आयोजन करने वाली मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फैडरेशन (युवा मामले एवं खेल विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) अथवा युवा मामले एवं खेल विभाग, भारत सरकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

5. आवेदन पत्र इस विज्ञापन में दिए गए निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार सादे कागज पर (बेहतर होगा टाइप करके) भेजा जाना चाहिए।

6. आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्कः आवेदन पत्र 1000/– रु. (रुपए एक हजार मात्र) के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ जमा किये जाने चाहिए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के मामले में (अनु.जा./अनु.जन.जा. का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए) 500/– रु. (रुपए पांच सौ मात्र)।

7. आरजीजीएलवी के लिए आवेदन पत्र (इस विज्ञापन में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार) सभी संलग्नकों सहित और पूरी तरह से भर कर तथा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से अप्रतिदेय शुल्क सहित इस प्रकार से भेजे जाने चाहिए कि वह नीचे दिए गए कार्यालय पते पर 12/12/2011 **को सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व** अवश्य पहुंच जाने चाहिए:

विज्ञापित से	स्थान क्र.सं. तक	अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के पक्ष में	देय स्थान	आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क जमा करने हेतु कार्यालय पता
01	30	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी)	जम्मू	एरिया मैनेजर, इंडेन एरिया ऑफिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), 22–ओबी, जेडीए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेल हेड, जम्मू – 180012
31	43	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अम्बाला	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टेरेटरी ऑफिस और एलपीजी प्लांट, गाँवः अलमगीर, पोस्टः तिवाना, लालरु, जिलाः एस.ए.एस. नगर, पंजाब – 140501
44	65	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू	सीनियर रिजनल मैनेजर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लेन नं. 3, सिडको कॉम्प्लेक्स, फेस–II, बारी ब्रामना, जम्मू – 181133

8. चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन मानदंड

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों का मूल्यांकन, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर कुल 100 अंकों के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। यह मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार किया जाएगाः

क्र. सं.	मापदंड	अधिकतम अंक
1.	वित्तीय क्षमता	50
2.	आय	10
3.	शैक्षिक योग्यताएं	40

आरजीजीएलवी के लिए चयन न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले सभी पात्र आवेदकों में से ड्रा द्वारा किया जाएगा आरजीजीएलवी के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 60 प्रतिशत हैं और सभी अन्य श्रेणी की लोकेशनों के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक हैं।

विस्तृत दिशानिर्देश जिसमें मूल्यांकन और ड्रा के लिए विस्तृत मानदंड निहित हैं, विवरण पुस्तिका में दिए गए हैं जिसे उपर्युक्त पैरा 7 में दिए गए पते पर 50/– रु. कीमत का भुगतान करके व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। यह संबद्ध तेल कम्पनियों की वेबसाइटों www.iocl.com, www.ebharatgas.com, www.bharatpetroleum.in www.hindustanpetroleum.com पर भी उपलब्ध हैं

9. आरजीजीएलवी के प्रचालन के लिए अपेक्षित बुनियादी इंफ्रॉस्ट्रक्चर सुविधांए–एलपीजी स्टोरेज गोदाम तथा शोरूम

आरजीजीएलवी के लिए पेट्रोलियम विस्फोटक और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी.ई.एस.ओ.) के मुख्य नियंत्रक से अनुमोदित और लाईसेंस प्राप्त स्टोरेज गोदाम की आवश्यकता होगी जहां एलपीजी के सिलेंडरों को स्टोर किया जा सके। गोदाम के समीप 2.6मी. x 3मी. के शोरूम का निर्माण करने की जरूरत होगी अथवा इसे पास की मौजूदा दुकान से चलाया जा सकता है।

गोदाम के निर्माण के लिए प्लॉट का आकार न्यूनतम 20मी. x 24मी. होना चाहिए और वह सभी मौसमों के दौरान मोटरएबल पहुंच मार्ग (सार्वजनिक सड़क अथवा आवेदक की प्राइवेट सड़क जो सार्वजनिक सड़क को मिलाती हो) से पूरी तरह से जुड़ा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए एवं प्लॉट एक ही टुकड़े में होना चाहिए, ओवरहैड पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों अथवा टेलीफोन लाइनों से मुक्त होना चाहिए। प्लॉट में से पाइपलाइनें/नहर/ड्रेनेज/नाला आदि नहीं गुजरना चाहिए।

आरजीजीएलवी को उपभोक्ताओं के निवास पर एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को अधिकृत लाइसेंस धारक एलपीजी गोदाम से खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर दिए जाएंगे।

10. कॉरपस फंड योजना–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अर्न्तगत आरक्षित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए चुने गए प्रत्याशियों को वित्तीय सहायता

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अर्न्तगत आरक्षित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए चुने गए प्रत्याशी को संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा गोदाम/अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए एक लाख रु. का रक्षित ऋण उपलब्ध कराएगा। इस राशि की वसूली नीति के अनुसार 14.2 कि.ग्रा. के सिलेंडरों पर डिस्ट्रिब्यूटर के 20 प्रतिशत कमीशन पर प्रति रिफिल के आधार पर की जाएगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए संबंधित ऑयल कम्पनी आरजीजीएलवी के प्रचालन के लिए घटती हुई शेष राशि पर 11 प्रतिशत वार्षिक दर से पर्याप्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराएगी। कार्यशील पूंजी ऋण और उस पर लगने वाली ब्याज की राशि, दोनों की वसूली 100 समान मासिक किश्तों में की जाएगी और ये किश्ते आरजीजीएलवी की कमीशनिंग के 13वें माह से शुरू होंगी।

11. प्रतिभूति जमा

चुने गए प्रत्याशी को नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पहले संबंधित ऑयल कम्पनी के पास ब्याज मुक्त प्रतिदेय प्रतिभूति के रूप में 2 लाख रु. की राशि जमा कराएगा। संबंधित ऑयल कम्पनी को अधिकार होगा कि वह निवृति/निरस्तीकरण के समय इस राशि में से किसी देय राशि को समायोजित कर सके। तथापि, सिद्ध हुए कदाचार के कारण आरजीजीएलवी के निरस्तीकरण पर वह प्रतिभूति जमा राशि को जब्त कर सकता है।

12. व्यक्तिगत सुपरविजन

आरजीजीएलवी के लिए चुने गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रबंध करना चाहिए। वह किसी अन्य प्रकार का रोजगार लेने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई चुना गया व्यक्ति पहले से ही रोजगार में है तो उसे अपने वर्तमान रोजगार से त्याग पत्र देना होगा और ऑयल कम्पनी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले नियोजक द्वारा स्वीकार किया गया त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आरजीजीएलवी की कमीशनिंग

चुने गए प्रत्याशी के लिए फील्ड वेरीफिकेशन किया जाएगा और यदि प्रत्याशी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो उसे आशय पत्र जारी किया जाएगा। चुने गए प्रत्याशी जिन्हें आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिया गया है, को इसमें दी गई शर्तों को पूरा करना होगा ताकि आरजीजीएलवी की कमीशनिंग निर्धारित समय के भीतर की जा सके। कमीशनिंग से पहले नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और आरजीजीएलवी करार निष्पादित किया जाएगा। इस करार की आरंभिक अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात हर पांच वर्ष के बाद इसे नवीकृत किया जा सकेगा बशर्ते की उस आरजीजीएलवी की परफॉरमेंस संतोषजनक हो।

14. सामान्य

(क) कम्पनी के पास बिना कोई भी कारण बताये अपने विवेकानुसार इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने/संशोधित करने अथवा निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।

(ख) आरजीजीएलवी के लिए आवेदन पत्र विज्ञापन में दिए गए फार्मेट के अनुसार सादे कागज पर साफ–साफ लिखकर अथवा टाइप करके जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने के बाद कुछ भी जोड़ने/हटाने/संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदक को आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों, संलग्न किए गए शपथ पत्रों सहित प्रत्येक पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या डालना होगा और अपने हस्ताक्षर करना होगा। **सभी शपथ पत्रों को आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।**

(ग) आवेदन पत्र के साथ केवल वही दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए जो मांगे गये हों। किसी अतिरिक्त दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) डाक में होने वाले विलम्ब सहित, अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों अथवा वैध दस्तावेजों के बिना या आवेदन प्रक्रिया शुल्क के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनों या किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित तेल कम्पनी किसी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं करेगी।

(ङ.) 'खुली' श्रेणी के अन्तर्गत विज्ञापित स्थानों के अलावा संबद्ध श्रेणियों यथा–'अनु.जा./अनु.जन.जा.', और संयुक्त श्रेणी (सीसी) जिसमें रक्षा कार्मिक (डीपी), अर्धसैनिक बल/पुलिस/सरकारी कार्मिक (पीएमपी), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी), और शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) को अपना पात्रता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

(च) यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई जानकारी अथवा उसके साथ संलग्न किये गए किसी दस्तावेज में अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्र के संबंध में बाद में प्रस्तुत की गई कोई जानकारी किसी भी स्तर पर गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आवेदक को आरजीजीएलवी के रूप में नियुक्त कर लिया गया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा ऐसे मामलों में उम्मीदवार/आरजीजीएलवी संबंधित ऑयल कम्पनी के विरूद्ध किसी प्रकार का दावा नही कर सकेगा।

(छ) आवेदकों को केवल वही जानकारी देनी चाहिए जो आवेदन पत्र की विभिन्न मदों के बारे में मांगी गई है और जिनके लिए आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को उनके पास मूल रूप में समर्थक दस्तावेज उपलब्ध हैं। सत्यापन के समय इस प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में असत्य/असमर्थित जानकारी देने की वजह से उनके चयन को रद्द किया जा सकता है।

(ज) विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को भेजे जाने वाले लिफाफे पर मोटे–साफ अक्षरों में निम्न प्रकार से लिखा जाए **यह आवेदन पत्र .... (ऑयल कम्पनी का नाम) की .... लोकेशन के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक' हेतु है।**

(झ) यह पूर्णतयः एक व्यापारिक प्रस्ताव है और संबंधित ऑयल कम्पनी में किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं है और इसमें सामान्य व्यापार के जोखिम है और यह किसी प्रकार के निश्चित लाभ अथवा प्रतिलाभ की गारंटी नहीं देता।

(ञ) यह केवल आवेदन पत्र है और आरजीजीएलवी के लिए प्रस्ताव नहीं है।

(नीले/काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करके स्पष्ट अक्षरों में फार्म भरें)
अभ्यर्थी कृपया आवेदन करने से पहले सामान्य अनुदेश को पढ़ें।

कार्यालय उपयोग हेतु			दिन	माह	वर्ष
आवेदक द्वारा न भरा जाए	कार्यालय कोड	क्रम संख्या	आवेदन प्राप्त होने की तिथि		

हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ नमूना हस्ताक्षर सहित

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) के लिए आवेदन

कृपया अपने स्थान की तेल कम्पनी का नाम लिखें (बीपीसी या आईओसी या एचपीसी)

आवेदन शुल्क का विवरण	रु.		
डिमांड ड्राफ्ट नं.		**तिथि**	दिन माह वर्ष
शाखा पर भुगतान (बैंक का नाम)		**शाखा पर देय**	
के पक्ष में देय (तेल कम्पनी का पूरा नाम)			

(अ.जा./अ.ज.जा. आवेदकों को छोड़कर सभी आवेदकों के लिए रु. 1000 (एक हजार रु. मात्र) आवेदन प्रक्रिया शुल्क। अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों हेतु प्रक्रिया शुल्क रु. 500/– (पांच सौ रु.) (अ.जा./अ.ज.जा. प्रमाणपत्र संलग्न करने पर)।

1	**आरजीजीएलवी स्थान का नाम**	
2	**तहसील का नाम**	
3	**जिला**	
4	**राज्य**	
5	**श्रेणी**	

खुली, अ.जा./अ.ज.जा., संयुक्त श्रेणी (डीपी/पीएमपी/पीएच/ओएसपी से शामिल) (सीसी) आवेदक कृपया पात्रता मानदंड में उल्लिखित के अनुसार अपने सक्षम प्राधिकारी से साक्ष्य के रूप में प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें। 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत स्थानों के लिए लागू नहीं।

6	**विज्ञापन की तिथि**	दिन माह वर्ष (कृपया समाचार पत्र का नाम लिखें)
7	**आवेदक का विवरण परिशिष्ट–क में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र संलग्न करें**	
7.1	नाम	
		प्रथम नाम मध्य नाम उपनाम
7.2	**पिता/पति का नाम**	श्री
		टाइटल प्रथम नाम मध्य नाम उपनाम
7.3	**पता**	
		पिन कोड
	ई मेलः	**एसटीडी कोड** **टेलीफोन नं.**
7.4	**भारतीय नागरिक**	**हां** **नहीं** **निवासी** **(गांव का नाम)**
	राजस्व जिला	**राज्य**
7.5	**लिंग**	पुरुष/स्त्री
7.6	**जन्म तिथि**	दिन माह वर्ष **आयु** **वर्ष** **माह** **दिन**
7.7	**वैवाहिक स्थिति**	**अविवाहित** **विवाहित** **विधवा** **विधुर** **तलाकशुदा**
7.8	पति/पत्नी का नाम	
8	**शैक्षिक योग्यताः**	

	योग्यता	**बोर्ड/विश्वविद्यालय**	**पास होने का वर्ष**
I.	स्नातक		
II.	के.मा.शि.बो. से सीनियर सेकेंडरी अर्थात् (10+2) अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष		
III.	माध्यमिक अर्थात् दसवीं परीक्षा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष		

नोटः आवेदक द्वारा शैक्षिक योग्यता के संबंध में ऊपर दी गई सूचना के आधार पर अंक दिए जाएंगे। यदि जांच करने पर ऊपर्युक्त सूचना असत्य/गलत/मिथ्या पायी गई तो आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वह आरजीजीएलवी के लिए पात्र नहीं होगा।

9 एलपीजी गोदाम और शोरूम के निर्माण के लिए भूमि का ब्यौराः

भूमि उपर्युक्त, अविभक्त, बारहमासी मोटरवाहन चलाने योग्य सड़क द्वारा स्वतंत्र तरीके से सुगम्य होनी चाहिए। भूखंड के ऊपर शिरोपरि विद्युत प्रवाह ट्रांसमिशन/टेलीफोन लाइन मौजूद नहीं होनी चाहिए। भूखंड से पाइपलाइन/नहरें/नाली/नालों/सार्वजनिक सड़कें नहीं गुजरनी चाहिए। भूमि विज्ञापित स्थान में स्थित होनी चाहिए। **भूमि का न्यूनतम आयाम– 20मीटर x 24मीटर होना चाहिए।**

क्या आप एलपीजी गोदाम और शोरूम के लिए विज्ञापित क्षेत्र में उपर्युक्त भूमि के मालिक हैं?			
(मालिक का अर्थ है आवेदक/'परिवार इकाई' के किसी सदस्य के नाम संपत्ति का स्पष्ट मालिकाना अधिकार का होना। इस संपूर्ण आवेदन के प्रयोजनार्थ किसी विवाहित आवेदक की परिवार इकाई में स्वयं आवेदक, आवेदक के पति/पत्नी और अविवाहित पुत्र/पुत्री शामिल होंगे, और अविवाहित परिवार इकाई में स्वयं आवेदक, आवेदक के माता–पिता और आवेदक के अविवाहित भाई/बहन शामिल होंगे। परिवार के सदस्य के मामले में परिवार के सदस्य से सहमति पत्र अपेक्षित होगा)।	**हाँ**	**/**	**नहीं**

यदि 'नहीं', तो आवेदक पात्र नहीं है। | **कृपया जो लागू न हो उसे काट दें।**

निम्नलिखित ब्यौरा दें। यदि भूमि 'परिवार इकाई' की है तो परिशिष्ट–ग के अनुसार नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र संलग्न करें।

भूस्वामी का (के) नाम	आवेदक के साथ संबंध	विक्रय विलेख के पंजीकरण/उपहार दाखिल–खारिज की तिथि	एलपीजी गोदाम के लिए भूमिस्थल का पता	खसरा सं./सर्वे सं.	भूमि के आयाम* मीटर में लम्बाई	भूमि के आयाम* मीटर में चौड़ाई

***आवेदक के स्वामित्व वाली कुल भूमि में से गोदाम के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने वाले भूखंड के आयामों का उल्लेख करें।**

10 वित्तीय क्षमता

नोटः वार्षिक आमदनी, बचत बैंक खाता में जमाराशि/निवेश, संपत्ति का मूल्य और बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण के संबंध में आवेदक द्वारा नीचे उल्लेखित सूचना के आधार पर आवेदक के वित्तीय क्षमता के बारे में अंक दिए जाएंगे। यदि जांच करने पर उपर्युक्त सूचना असत्य/गलत/मिथ्या पायी गई तो आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी और वह आरजीजीएलवी के लिए पात्र नहीं होगा।

10.1	**पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक आमदनीः**	रु.
	राशि शब्दों में	
	यदि आप आयकरदाता हैं तो पैन नं. का उल्लेख करें	

आपके द्वारा अंतिम वित्त वर्ष की संबंधित आय का उल्लेख किया जाना चाहिए। परिशिष्ट–ख के अनुसार प्रमाणित शपथपत्र संलग्न करें।

10.2 **बचत बैंक खाता में राशि** आवेदक और 'परिवार इकाई' के सदस्यों के नाम आवेदन की तिथि पर। परिवार इकाई के सदस्य के नाम उल्लिखित राशि के लिए **परिशिष्ट–ग** में दिए गए प्रारूप के अनुसार ''परिवार इकाई'' के सदस्य/सदस्यों द्वारा दिए गए शपथपत्र में उल्लेखित राशि के आधार पर अंक दिए जाएंगे।

शेष अगले पृष्ट पर ......

क्र.सं.	बैंक का नाम	बचत खाता सं.	खाताधारक/धारकों के नाम	आवेदक के साथ संबंध	आवेदन की तिथि को राशि
1					रु.
2					रु
3					रु.
4					रु.
		जोड़			रु.
शब्दों में कुल राशि					

10.3 सावधि जमा/एनएससी/शेयर/एमएफ इत्यादि आवेदक और 'परिवार इकाई' के सदस्यों के नाम विज्ञापन की तिथि को। परिवार इकाई के सदस्य (सदस्यों) द्वारा संलग्न प्रारूप परिशिष्ट–ग के अनुसार शपथपत्र संलग्न किया जाए।

क्र. सं.	निवेश–सावधि जमा/एनएससी/शेयर/म्युचुअल फंड आदि की किस्म	तारीख सहित संदर्भ सं.	धारक (धारकों) का नाम	आवेदक के साथ संबंध	प्रारंभिक निवेश की राशि	विज्ञापन की तिथि को कीमत (राशि)
1						रु.
2						रु.
3						रु.
4						रु.
		जोड़				रु.
	शब्दों में कुल राशि					

10.4 **परिवार की अन्य परिसंपत्ति/संपत्ति** आवेदक और 'परिवार इकाई' के सदस्यों के नाम विज्ञापन की तिथि को 'परिवार इकाई' के सदस्य/सदस्यों द्वारा **परिशिष्ट–ग** में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथपत्र संलग्न किया जाए। **(टिप्पणीः सोने को शामिल नहीं किया जाये)**। सरकार द्वारा मान्यता–प्राप्त मूल्यांकक द्वारा सत्यापित विज्ञापन की तिथि को मूल्य। मद 9 में उल्लिखित गोदाम के लिए भूमि के संबंध में परिसंपत्ति का मूल्य शामिल नहीं किया जाए।

क्र.सं.	संपत्ति का ब्यौरा	धारक का नाम	आवेदक के साथ संबंध	सरकार द्वारा मान्यता–प्राप्त मूल्यांकक के अनुसार मूल्य
1				रु.
2				रु.
3				रु.
4				रु.
		जोड़		रु.
	शब्दों में कुल राशि			

10.5 ऋणों का ब्यौरा जो **परिशिष्ट–घ के** अनुसार ऋण प्रदान किए जाने के संबंध में अनुसूचित बैंकों / वित्तीय संस्थानों के प्रमाणपत्र के आधार पर अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किये जा सकते हैं। **अगर विशिष्ट राशि का उल्लेख नहीं किया गया तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा।**

बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम एवं पता	प्रमाणपत्र की तारीख						ऋण की राशि
	दिन		माह		वर्ष		

आवेदक द्वारा घोषणाः

मुझे ज्ञात है कि उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर आवेदकों का मूल्यांकन किया जाएगा। तेल कम्पनी द्वारा जांच किए जाने पर अगर यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत/असत्य/मिथ्या है तो मेरी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी और मैं आरजीजीएलवी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाऊंगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना का समर्थन करने वाले मूल दस्तावेज मेरे पास है और चयन हो जाने पर इन दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहने पर इस आवेदन में गलत/समर्थन नहीं करने वाली सूचना दिए जाने के कारण मेरा चयन रद्द कर दिया जाएगा।

मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि चयन के बाद यदि मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (पी.ई.एस.ओ.) के कार्यालय द्वारा पूर्णरूपेण स्वीकृत एलपीजी गोदाम और तेल कम्पनी के मानक लेआउट के अनुसार शोरूम मुहैया कराने में असमर्थ रहा तो मुझे आरजीजीएलवी का दिया गया प्रस्ताव स्वतः रद्द हो जाएगा।

मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो आरजीजीएलवी के रूप में मेरी नियुक्ति नहीं होगी। मुझे नौकरी से इस्तीफा देना होगा और नियुक्तिपत्र जारी होने के पहले अपने नियोक्ता से अपने इस्तीफे की स्वीकृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

मुझे ज्ञात है कि यदि मैं विवाहित हूं तो मेरी पत्नी/मेरे पति मेरे साथ आरजीजीएलवी की सह–स्वामी होगी।

मैं वचन देता हूं कि यदि मेरा चयन हो जाता है तो मैं कॉर्पोरेशन के नीति के अनुसार ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा करवाऊंगा।

मैंने विज्ञापन में उल्लिखित आरजीजीएलवी के लिए लागू शर्तों एवं निबंधनों को पढ़ लिया है और पुष्टि करता हूं कि मैं आरजीजीएलवी के योग्यता मानदंड को पूरा करता हूं जिसके लिए मैंने इस आवेदन पत्र में आवेदन किया है।

मैं श्री .... पुत्री/पुत्र/पत्नी श्री .... एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि उपर्युक्त सूचना सत्य एवं सही है। किसी गलत सूचना/मिथ्या जानकारी/सत्य को छिपाने पर मैं इस आरजीजीएलवी के लिए अपात्र हो जाऊंगा।

स्थान : .... **आवेदक का हस्ताक्षर** ....

दिनांकः दिन माह वर्ष **आवेदक का नाम** ....

(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

अनुलग्नकों की सूची

(1) आवेदित श्रेणी के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति (2) डिमांड ड्रॉफ्ट सं. .... दिनांक .... (3) परिशिष्ट–क में प्रारूप के अनुसार मूल शपथ पत्र (4) परिशिष्ट–ख में प्रारूप के अनुसार मूल शपथ पत्र (5) परिशिष्ट–ग में प्रारूप के अनुसार मूल शपथ पत्र (6) परिशिष्ट–घ में प्रारूप के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थान का मूल पत्र

अनुलग्नकों सहित आवेदन के कुल पृष्ठों की संख्या

आरजीजीएलवी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश

मद सं.	अनुदेश	सत्यापन के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समर्थन दस्तावेज
1	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसका नाम लिखें।	
2	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसके तहसील का नाम लिखें।	
3	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उस जिले का नाम लिखें।	
4	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसके राज्य का नाम लिखें।	
5	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसकी श्रेणी का नाम लिखें।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र। जाति प्रमाणपत्र, जहां लागू हो।
6	मद संख्या 1 में उल्लिखित स्थान के लिए जिस समाचार पत्र में विज्ञापन मिला है, उसका नाम और तारीख लिखें।	
7	मद संख्या 7.1 से 7.8 के लिए	नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र–क प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी से मानक प्रारूप में आवास प्रमाणपत्र।
8	शिक्षाः– सूचना कालक्रमानुसार	प्रत्येक शैक्षिक योग्यता के लिए मूल प्रमाणपत्र
9	**गोदाम और शोरूम के निर्माण के लिए भूमि का ब्यौराः– यदि आवेदक कोई सूचना नहीं देता है तो यह माना जायेगा कि आवेदक के पास अपेक्षित भूमि नहीं है और इसलिए आवेदक आरजीजीएलवी के लिए अयोग्य हो जायेगा।**	
	कृपया प्रारूप के अनुसार भूमि का ब्यौरा दें।	पंजीकृत विक्रय विलेख/उपहार विलेख/दाखिल–खारिज और सरकारी रिकार्ड आदि। दस्तावेजों पर तारीख आवेदन के दिन की अथवा उसके पहले की होनी चाहिए। नोटरी द्वारा सत्यापित प्रारूप (परिशिष्ट–ग) में परिवार के सदस्य की सहमति अपेक्षित है।
10	**वित्तीय क्षमता**	
10.1	विगत वित्त वर्ष के लिए 'परिवार इकाई' की सकल वार्षिक आय। आय में सभी स्रोतों से आय जैसे वेतन, संपत्ति, ब्याज, लाभांश, व्यवसाय/पेशा/व्यापार, कृषि और अन्य स्रोतों से, यदि कोई हो।	परिशिष्ट–ख के अनुसार नोटरी से सत्यापित शपथपत्र और वे सभी कागजात जिसके आधार पर शपथपत्र में आय दिखाई गई है।
	यदि आवेदक आयकर निर्धारित है तो वार्षिक आय घोषणा में दिखाए गए आय के ब्यौरे संगत वित्त वर्ष की आयकर विवरणी में उल्लिखित ब्यौरों के अनुरूप होने चाहिए।	
	यद्यपि, यदि आवेदक आयकर निर्धारित नहीं है तो विवरण के समर्थन में अन्य दस्तावेज (दस्तावेजों) प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिनमें से कुछ का सिर्फ उदाहरण के तौर पर नीचे उल्लेख किया गया है। क) सकल वेतनः– प्रदत्त कुल परिलब्धियों को दर्शाते हुए नियोक्ता से एक प्रमाणपत्र। ख) संपत्ति से आयः– किराया जैसा कि कर के प्रयोजनार्थ घोषित एवं निर्धारित किया गया हो। ग) बैंक जमा पर ब्याज–ब्याज के रूप में भुगतान/जमाखाते डाली गई वास्तविक राशि दर्शाते हुए बैंक (बैंकों) से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र। घ) व्यवसाय/पेशा/व्यापार/शेयर एवं अन्य निवेश/अन्य स्रोतों से आयः प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई आय के समर्थन में सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा। आवेदक के लिए उसके द्वारा दर्शायी गई आय के समर्थन में अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना भी अपेक्षित हो सकता है। ड) कृषि से आयः मामलातदार/तहसीलदार द्वारा कृषि भूमि की अवस्थिति का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उससे आय का प्रमाणपत्र।	
10.2	सिर्फ आवेदन के दिन स्वयं और "परिवार इकाई" के सदस्य (सदस्यों) के नाम बचत खाते में जमाराशि पर विचार किया जायेगा। परिवार इकाई के बाहर किसी सदस्य (सदस्यों) के साथ संयुक्त खाते में जमाराशि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।	परिशिष्ट–ग के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र और बचतखाते की बैंक विवरणिका/पासबुक जिससे आवेदन की तारीख को जमाराशि की जांच की जा सकती है।
10.3	विज्ञापन की तारीख को केवल स्वयं और "परिवार इकाई" के सदस्य के नाम से सावधि जमाराशि/बंधपत्रों/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों/म्यूचुअल फंड/शेयर/यूलिप में निवेश के मूल्य पर विचार किया जा सकता है। "परिवार इकाई" से बाहर किसी सदस्य (सदस्यों) के साथ संयुक्त खाते में जमा राशि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।	परिशिष्ट–ग के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र और निवेश के मूल दस्तावेज, जिनके आधार पर आवेदन में धनराशियों का उल्लेख किया गया है।
	बैंक में सावधि जमाराशि/मियादी जमाराशि इत्यादि – विज्ञापन की तिथि को जमाराशियों का विवरण बैंक से लिया जाना चाहिए।	विज्ञापन की तिथि को सावधि जमाराशि/मियादी जमाराशि की धनराशि को प्रमाणित करने वाली बैंक विवरणिका या बैंकर्स से एक पत्र।
	विज्ञापन की तिथि को एनएवी के आधार पर म्यूचुअल फंड/सूचीबद्ध शेयर/यूलिप में निवेश।	विज्ञापन की तिथि को सरकारी मान्यता प्राप्त मूल्यांकक अथवा संबंधित वित्तीय संस्थान से प्रमाणित/सनदी लेखाकार से प्रमाणित मूल्य।
	वह धनराशि जो विज्ञापन की तिथि को बीमा को अभ्यर्पित करके अथवा बीमा के अंतर्गत ऋण के रूप में प्राप्त की जा सकती है।	बीमा कम्पनी से प्रमाण पत्र।
10.4	विज्ञापन की तिथि को "परिवार इकाई" के सदस्य के नाम अन्य परिसंपत्तियां/संपत्ति (अचल)। परिवार इकाई से बाहर किसी सदस्य (सदस्यों) के साथ संयुक्त खाते में जमाराशि का उल्लेख नहीं किया जाए। **(नोटः सोना शामिल नहीं किया जाना चाहिए)**। मद सं. 9 में उल्लिखित गोदाम के लिए भूमि के संबंध में परिसंपति के मूल्य को शामिल नहीं किया जाए।	सरकारी मान्यता–प्राप्त मूल्यांकक द्वारा मूल्यन प्रमाणपत्र में विज्ञापन की तिथि को परिसंपत्तियों के प्रचलित मूल्य का उल्लेख होना चाहिए। मूल्यन प्रमाणपत्र की तिथि विज्ञापन की तिथि और आवेदन की तिथि के बीच होनी चाहिए।
10.5	परिशिष्ट–घ के अनुसार ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए एक अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थानों से प्रमाण पत्र/पत्र पर आधारित धन राशि। यदि किसी विनिर्दिष्ट राशि का उल्लेख नहीं किया गया है तो इसको शून्य माना जाएगा और कोई अंक नहीं दिया जाएगा।	परिशिष्ट–घ के अनुसार

महत्वपूर्ण नोटः

1. इस पूरे आवेदन के प्रयोजनार्थ एक विवाहित आवेदक की परिवार इकाई में स्वयं आवेदक, आवेदक की पत्नी/पति और अविवाहित पुत्र/पुत्री (पुत्रियां), और एक अविवाहित आवेदक की परिवार इकाई में स्वयं आवेदक, आवेदक के माता–पिता और आवेदक के अविवाहित भाई/बहन (बहनें) शामिल होंगी।

2. आवेदक को आवेदन में सिर्फ विभिन्न मदों के अंतर्गत सूचना देनी चाहिए जिनके समर्थन करने वाले दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन जमा करने की तिथि को मौजूद हों। जांच के समय इन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहने पर चयन रद्द किया जा सकता है।

3. अगर किसी जगह पर आवेदक को ब्यौरा देने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है तो अतिरिक्त पंक्ति या अतिरिक्त कागज जोड़कर ब्यौरा दिया जा सकता है। बहरहाल, ब्यौरा उसी प्रारूप में दिया जाए जैसा कि उस मद विशेष में उल्लेख किया गया है।

आवेदकों के लिए जांच–सूची

क्र.सं.	विवरण जिनकी जांच की जानी है	जांच खाना
1.	संलग्न डिमांड ड्रॉफ्ट–रकम, संबंधित कम्पनी के नाम से आहरित और देय शाखा की जांच करें	
2.	चिपकाया गया फोटोग्राफ और फोटोग्राफ के आर–पार किया गया हस्ताक्षर	
3.	यथालागू श्रेणी के लिए पात्रता प्रमाणपत्र संलग्न किया है	
4.	यथालागू परिशिष्ट–क के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र संलग्न किया है	
5.	यथालागू परिशिष्ट–ख के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र संलग्न किया है	
6.	परिशिष्ट–ग के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र संलग्न किया है	
7.	परिशिष्ट–घ के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र संलग्न किया है	
8.	अंत में उल्लिखित घोषणा पर आवेदक ने नाम, तिथि और स्थान के साथ विधिवत हस्ताक्षर किए हैं	
9.	आवेदन के सभी पृष्ठ संख्यांकित एवं हस्ताक्षरित है	
10.	आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है	

परिशिष्ट–क

(नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र)

(अपेक्षित राशि के उपयुक्त गैरन्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाईप किया जाए)

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु .... वर्ष .... का निवासी एतद्द्वारा शपथपूर्वक पुष्टि और बयान करता हूँः

1. कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और .... राज्य के (गांव का नाम), (ग्राम पंचायत), (जिला) का निवासी हूँ।

2. कि मेरी जन्म तिथि है तिथि / माह / वर्ष (शब्दों में ....)

3. कि मैंने दसवीं या समकक्ष परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से वर्ष में उत्तीर्ण की है वर्ष ☐☐☐☐

और

कि मैंने सीनियर सेकेंडरी अर्थात 10+2 सीबीएसई या समकक्ष परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से वर्ष में उत्तीर्ण की है।* वर्ष ☐☐☐☐

और

कि मैंने स्नातक परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है।* वर्ष ☐☐☐☐

4. कि मैं अविवाहित हूं। कि मेरे, मेरे पिता, माता, अविवाहित भाई (भाइयों), अविवाहित बहन (बहनों) के पास किसी तेल कम्पनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और न ही उनकी खुदरा दुकान या एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी के लिए कोई आशय–पत्र हैः

अथवा

कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी/पति का नाम .... है। कि मेरे, मेरे पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) के पास किसी तेल कम्पनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और न ही उनकी खुदरा दुकान या एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी के लिए कोई आशय–पत्र हैः

अथवा

कि मैं विधवा/विधुर हूं। कि मेरे, अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) के पास किसी तेल कम्पनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और न ही उनकी खुदरा दुकान या एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी के लिए कोई आशय–पत्र हैः

अथवा

कि मैं तलाकशुदा हूं। कि न तो मेरे, न ही मेरे अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) (जिनकी कस्टडी मुझे दी गई है) के पास किसी तेल कम्पनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और न ही उनकी खुदरा दुकान या एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी के लिए कोई आशय–पत्र हैः

5. कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है।

6. कि किसी न्यायालय ने कभी भी किसी आपराधिक वारदात के लिए जिसमें चरित्रहीनता और/या आर्थिक अपराध शामिल हैं (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर), मुझे दोषी करार नहीं दिया है, और न ही मेरे खिलाफ कभी कोई आरोप लगाए गए हैं।

7. कि मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैं किसी तेल कम्पनी की ऐसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार पर कभी हस्ताक्षरकर्ता नहीं रहा हूं जो कदाचार सिद्ध होने पर और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन करने के लिए निरस्त कर दी गई थी।

8. कि यदि आरजीजीएलवी दिए जाने के लिए मेरे आवेदन या आवेदन के समर्थन में मेरे द्वारा जमा करवाए किसी दस्तावेज अथवा इस शपथपत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना/घोषणा असत्य, गलत या झूठ पाई गई तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन*/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* को अपना आशय–पत्र वापस लेने/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को निरस्त करने (यदि पहले ही नियुक्त कर दी गई है) का अधिकार होगा और कि ऐसी वापसी/निरस्तीकरण के लिए कॉर्पोरेशन के विरुद्ध मेरा कोई दावा नहीं होगा, भले कुछ भी दावा हो।

* जो लागू नहीं हो उसको काट दें।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोल्लिखित मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है और उसमें कुछ भी वस्तुपरक छिपाया नहीं गया है।

मेरे सामने शपथपूर्वक तस्दीक एवं घोषणा की गई

का .... दिन ....

....

मजिस्ट्रेट/न्यायधीश/नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर एवं मोहर **शपथपत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर (नाम स्पष्ट अक्षरों में)**

परिशिष्ट–ख

(नोटरीकृत शपथ पत्र)

(अपेक्षित मूल्य के उपयुक्त गैरन्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाईप किया जाए)

वार्षिक आय की घोषणा

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु .... वर्ष .... का निवासी एतद्द्वारा शपथपूर्वक पुष्टि और ब्यान करता हूं कि मेरी सकल वार्षिक आय निम्नानुसार हैः

कृपया पिछले वित्तीय वर्ष (2010–11) की आय का ब्यौरा दें

सकल आय दर्शायी जाए और शुद्ध आय नहीं

सकल वार्षिक आय का रूपयों में ब्यौरा

संबंध	सकल आय	संपत्ति (शुद्ध आय)	ब्याज/लाभांश	व्यवसाय (शुद्ध लाभ)	पेशेवर आय (खर्चों को निकालकर शुद्ध आय)	कृषि से आय (खर्चों को निकाल कर शुद्ध आय)	अन्य स्त्रोतों से आय उदाहरणार्थ पेंशन आदि	जोड़ I+II+III+IV+V+VI+VII)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. स्वयं								
2. पति/पत्नी								
3. अविवाहित पुत्र/पुत्री								

यदि आवेदक अविवाहित है तो संलग्न परिशिष्ट–ग के अनुसार नोटरीकृत शपथपत्र में माता, पिता, अविवाहित भाई (भाइयों)/अविवाहित बहन (बहनों) की आय दर्शायी जा सकती है।

1. पिता								
2. माता								
3. अविवाहित बहन (नों)/भाईयों								

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं आयकर दाता हूं और मैं उपर्युक्त वित्त वर्ष के लिए अपनी आयकर विवरणी की एक प्रति इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।*

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं आयकरदाता नहीं हूं।*

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

मेरे सामने शपथपूर्वक तस्दीक एवं घोषणा की गई

का .... दिन..............................

मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/ नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर एवं मोहर **शपथपत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर (नाम स्पष्ट अक्षरों में)**

1 प्रत्येक शीर्ष अर्थात I से VII के अंतर्गत सही सूचना देना जरूरी है, यदि किसी शीर्ष के अंतर्गत आय शून्य है तो यह विनिर्दिष्ट रूप से शून्य के रूप में दर्शायी जाए और रिक्त नहीं छोड़ी जाए।

2 यदि आवेदक आयकरदाता है तो आयकर विवरणी की एक प्रति संलग्न करें।

परिशिष्ट–ग

(नोटरीकृत शपथपत्र)

(अपेक्षित मूल्य के उपर्युक्त गैरन्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाईप किया जाए)

(परिवार के सदस्य द्वारा दिया जाए जैसा कि पात्रता मानदंड में आवेदक को छोड़कर उल्लिखित है)

मैं,.................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री,............................ आयु .... वर्ष .... का निवासी, एतद्द्वारा शपथपूर्वक पुष्टि एवं बयान करता हूं किः

1. कि मैं अविवाहित हूं और मेरे पिता*/माता*/अविवाहित भाई*/अविवाहित बहन* (श्री/सुश्री) .... ने दिनांक ....के .... समाचार–पत्र में दिए गए विज्ञापन के अंतर्गत .... कोटि के तहत .... (स्थान) पर आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* के आरजीजीएलवी के लिए आवेदन किया है।

या

कि मैं विवाहित हूं और मेरे अविवाहित पुत्र*/पुत्री*/पत्नी*/पति* (श्री/सुश्री) ....ने दिनांक .... के .... समाचार–पत्र में दिए गए विज्ञापन के अंतर्गत .... कोटि के तहत .... (स्थान) पर आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* के आरजीजीएलवी के लिए आवेदन किया है।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

2. कि यदि उसका आरजीजीएलवी के लिए चयन हो जाता है तो मैं .... रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराऊंगा जो .... (स्थान) पर आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* के आरजीजीएलवी के लिए (श्री/सुश्री) .... द्वारा जमा करवाए गए आवेदन में मेरे नाम के अंतर्गत मद सं. 10 पर उल्लिखित है।

3. कि यदि उसका आरजीजीएलवी के लिए चयन हो जाता है तो मेरे नाम से मद सं. 9 पर विनिर्दिष्ट भूमि पर गोदाम/शोरूम का निर्माण करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोल्लिखित मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है और उसमें कुछ भी वस्तुपरक छिपाया नहीं गया है।

मेरे सामने शपथपूर्वक तस्दीक एवं घोषणा की गई

का.................................... दिन.....................................

हस्ताक्षर

मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/ नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर एवं मोहर **अभिसाक्षी के नाम आवेदक के साथ संबंध**

परिशिष्ट–घ

बैंकरों, एक अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान से उनके **लेटर हेड** पर साख प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्मेट और इसको आवेदन के साथ संलग्न किया जाए। कृपया नोट करें कि रकम का अवश्य उल्लेख किया जाए। यदि विनिर्दिष्ट रकम का उल्लेख नहीं किया गया है तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा।

जिस किसी से भी संबंधित हो

श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री .... पिछले .... वर्षों से इस बैंक के ग्राहक है और वह हमारे बैंक/संस्थान से निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैंः

क)

ख)

ग)

उपर्युक्त अवधि के दौरान श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री .... का इस बैंक के साथ संव्यवहार और उनका आचरण संतोषजनक रहा है। यदि उनको आरजीजीएलवी आवंटित किया जाता है तो उसके वित्तपोषण के लिए हम .... रुपये (......................शब्दों में) का ऋण उपलब्ध कराना चाहेंगे।

हस्ताक्षर

नाम और पद

कार्यालय की मोहर

दिनांक

मानक आवास प्रमाणपत्र

(जांच के समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा दिया जाएगा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... वर्षों से .... (शहर/गांव का नाम), ... जिला, ... राज्य के निवासी हैं।

यह प्रमाणपत्र .... पर राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक हेतु आवेदन करने के लिए जारी किया गया है।

(.........................)

दिनांक .... **उपतहसीलदार/तहसीलदार/उपमामलातदार/**

स्थान .... **मामलातदार के हस्ताक्षर**

(कार्यालय की मोहर)

अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के प्रमाणपत्र के लिए मानक फॉर्मेट

नोटः अभ्यर्थी को, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने का दावा करता है, अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित प्रपत्र में मूल प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ जमा करवाना होगा, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी# द्वारा जारी किया गया हो, उस जिले की संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में नामजद किया गया है, जिसमें आवेदक के माता–पिता (जीवित माता–पिता) सामान्यतः निवास करते हैं। यदि माता–पिता, दोनों का देहांत हो गया है तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहां अभ्यर्थी, अपनी शिक्षा के प्रयोजन को छोड़कर, सामान्यतः निवास करता है। प्रमाणपत्र की असलियत के बारे में कोई संदेह होने पर उसकी जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त से कराई जा सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवाए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..................................पुत्र/पुत्री* श्री .... निवासी गांव/शहर* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघशासित क्षेत्र* .... के .... जाति/जनजाति के है और उनका धर्म .... है जो बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1956* के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश 1956* के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता–प्राप्त है।

भारतीय संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956*

भारतीय संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप) अनुसूचित जाति आदेश, 1956*

भारतीय संविधान (दादर एवं नगरहवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962*

भारतीय संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964*

भारतीय संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

भारतीय संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970*

स्थानः........................... **हस्ताक्षरः** ....

तिथिः .... **पदः** ....

राज्य/संघ शासित राज्य*

*कृपया जो शब्द लागू नहीं हो, उसे काट दें।

नोटः यहां प्रयुक्त पद "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–20 में उल्लिखित है।

\# जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी

i. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर, प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट***, उपमंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

*** (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के ओहदे से निम्नतर नहीं)

ii. मुख्य सूबा मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य सूबा मजिस्ट्रेट/सूबा मजिस्ट्रेट।

iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से निम्नतर ओहदे का नहीं हो।

iv. उस क्षेत्र के उपमंडलाधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

v. प्रशासनिक/प्रशासक का सचिव/प्रशासनिक अधिकारी (लक्षद्वीप)।

शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र हेतु मानक प्रपत्र

प्रमाणपत्र जारी करने वाले संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाणपत्र सं. ....

दिनांक

विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पत्नी/पुत्री/पुत्र श्री.......................... आयु ....पु./स्त्री., पंजीकरण सं.................................. शारीरिक रूप से अशक्त/दृष्टि अशक्त/वाक् एवं श्रव्य अशक्त हैं और उनके .... के संबंध में .... % (..........) स्थायी (शारीरिक अशक्तता/दृष्टि अशक्तता/वाक् अशक्तता एवं श्रव्य अशक्तता) है।

नोटः–

1. यह अवस्था प्रगतिशील/अप्रगतिशील/सुधार संभाव्य/सुधार असंभाव्य है।*

2. .... माह/वर्ष की अवधि के बाद पुनर्मूल्यांकन संस्तुत/असंस्तुत है।

'जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

ह./–	ह./–	ह./–
(चिकित्सक)	(चिकित्सक)	(चिकित्सक)
मोहर	मोहर	मोहर

रोगी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मोहर के साथ)

यहां अशक्तता को दर्शाने वाला हाल ही में खींचा गया अनुप्रमाणित फोटोग्राफ चिपकाएं।

अर्धसैनिक बल/पुलिस/सरकारी कर्मचारी श्रेणी के लिए मानक प्रारूप

प्रमाणपत्र जारी करने वाले संगठन/सरकारी कार्यालय के कार्यालय लेटर हेड पर कार्यालय प्रमुख या ऐसे सरकारी अधिकारी जिसका ओहदा अवरसचिव से निम्नतर नहीं हो, द्वारा जारी किया जाएगा।

प्रमाणपत्र जारी करने वाले संस्थान/संगठन का नाम और पता

संदर्भ सं.

दिनांक

अर्धसैनिक बल/पुलिस/सरकारी कर्मचारी श्रेणी के लिए पात्रता प्रमाणपत्र

(I) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री (आवेदक का नाम) .... हमारे संगठन .... में कार्य कर रहे थे और .... (स्थान का नाम) पर ड्यूटी का निर्वहन करते हुए दिनांक .... को अशक्त हो गए थे।

अथवा

(II) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... का, जो इस कार्यालय में .... के पद पर कार्य कर रहे थे, दिनांक .... को .... (स्थान पर) ड्यूटी का निर्वहन करते हुए देहान्त हो गया था। श्री/सुश्री .... (आवेदक का नाम), ... (संबंध) हमारे अभिलेखों के अनुसार श्री/सुश्री .... के आश्रित थे।

आवेदक के अनुप्रमाणित हस्ताक्षर

स्थान : .... **हस्ताक्षरः** ....

तिथि : .... **नामः** ....

पदः ....

(कार्यालय की मोहर)